

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)


क्रमांक: स्था./2025/ १५

दिनांक: ११-३-२५

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश//

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेश वीर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 लालसोट जिला दौसा श्रीमती ऋतु चंदानी की पुत्री का अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक: 18 दिनांक 24.02.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती ऋतु चंदानी की दिनांक 22 मार्च, 2025 की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करते हुए इनके स्थान पर श्रीमती छवि सिंघल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला-दौसा को दिनांक 22 मार्च, 2025 की रिमाण्ड ड्यूटी के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट:-शेष आदेश यथावत रहेगा।


(उमेश वीर)


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- ४३५

दिनांक:- ११-३-२५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 04- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 05- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 06- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 07- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 08- उप- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 09- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 10- जिला कारागृह दौसा
- 11- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
- 12- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड



(उमेश वीर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)